तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **F.S.S.Act Case No.37/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम इस हुक्म को तामिलमें जारी हुए

23.9.2024

पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (गणेशराम पुत्र प्रताप जी प्रजापत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म भरत किराणा स्टोर, सदर बाजार, कोजरा, तहसील व जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (रेखा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सुशील ट्रेडिंग कम्पनी, बिलर रोड़, नई झाडोली, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही) तथा प्रतिवादी संख्या–3 (हितेश राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, M/s Surendra Dairy, F-08, RIICO Industrial Area, Gegal, Ajmer) अनपुस्थित।

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.3.2023 को फर्म भरत किराणा स्टोर, सदर बाजार, कोजरा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता गणेशराम पुत्र प्रताप जी प्रजापत से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) का नमूना संख्या S-2057 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./586/Act/2023/630 दिनांक 27.3.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः गणेशराम व रेखा की ओर से अधिवक्ता श्री धनाराम देवासी उपस्थित हुये एवं प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 10.9.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः गणेशराम व रेखा ने जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण के निस्तारण अनुरोध किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–3 (हितेश राजपुरोहित) की ओर से दिनांक 28.6.2024 को जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता को दिनांक 10.9.2024 को ही सुना गया, जिन्होनें यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी गणेशराम, रिटेलर है व प्रतिवादी रेखा, सप्लायर है जिन्होनें जिस अवस्था में उक्त घी को क्रय किया है, उसी अवस्था में विक्रय किया है। अमानक खाद्य घी के लिये निर्माता फर्म जिम्मेदार है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दोषमुक्त किया जाकर प्रकरण का निस्तारण करावे।

प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 12.3.2023 को फर्म भरत किराणा स्टोर, सदर बाजार, कोजरा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से गणेशराम पुत्र प्रताप जी प्रजापत उपस्थित मिले, जो फर्म भरत किराणा स्टोर, सदर बाजार, कोजरा में आम जनता को खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) का विक्रय करता ... आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव,

......लगातार

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:04:02 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.37/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में गवाह श्री श्रवणसिंह, वाह चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रतिवादी विक्रेता गणेशराम पुत्र प्रताप जी प्रजापत को भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) का 15 किलोग्राम का एक पैक टीन रखा हुआ था जिसमें मिलावट का शक होने पर घी (Ajmer fresh Brand) के 15 किलोग्राम के पैकटीन को खोलकर हिलामिलाकर एक किलोग्राम घी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक भिगोनें में खरीदा एवं खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) की कीमत राशि रुपये 500/– (रुपये एक पांच सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता गणेशराम पुत्र प्रताप जी प्रजापत को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (Ajmer fresh Brand) को चार साफ, सूखी खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरकर इन चारों शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया व लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2057, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता गणेशराम व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (Ajmer fresh Brand) के चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रम संख्या S-2057 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता गणेशराम पुत्र प्रताप जी प्रजापत व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 14.3.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 12.3.2023 को ही शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ... सदर बाजार, कोजरा में

.....लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:04:02 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.37/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

प्रतिवादी विक्रेता गणेशराम पुत्र प्रताप जी प्रजापत से खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) के नमूना संख्या S-2057 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./586/Act/2023/630 दिनांक 27.3.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी गणेशराम पुत्र प्रताप जी प्रजापत की फर्म भरत किराणा स्टोर, सदर बाजार, कोजरा की प्रोपराईटरी फर्म भरत किराणा स्टोर, सदर बाजार, कोजरा द्वारा खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) के 15 किलोग्राम के पैक्ड टीन को फर्म सुशील ट्रेडिंग कम्पनी, नई झाडोली से जरिये बिल क्रय किया था, जो प्रतिवादी संख्या–2 (रेखा) की प्रोपराईटरी फर्म है। प्रतिवादी संख्या–2 (रेखा) की प्रोपराईटरी फर्म सुशील ट्रेडिंग कम्पनी, नई झाडोली द्वारा खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) के 15 किलोग्राम के पेक्ड टीन को फर्म सुरेन्द्र डेयरी, एफ 8, रिको इण्डस्ट्रीज एरिया, गेगल, अजमेर से जरिये बिल क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी हितेश राजपुरोहित की प्रोपराईटरी फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, जिसके अनुसार अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी हितेश राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, M/s Surendra Dairy, F-08, RIICO Industrial Area, Gegal, Ajmer दोषी है। प्रतिवादी हितेश राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, M/s Surendra Dairy, F-08, RIICO Industrial Area, Gegal, Ajmer ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी हितेश राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, M/s Surendra Dairy, F-8, RIICO Industrial Area, Gegal, Ajmer पर राशि रुपये30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी हितेश राजपुरोहित को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 05.11.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:04:02 IST
Reason: SelfAttested